भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *114

उत्तर देने की तारीख **11.02.2019**

जनजातीय समुदाय

*114. श्री अशोक महादेवराव नेतेः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में वन क्षेत्रों में रह रहे विभिन्न जनजातीय समुदायों की जनसंख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातीय लोगों हेतु कल्याणकारी उपाय शुरू करने हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए आधार/मानदंड क्या हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"जनजातीय समुदाय" के संबंध में श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 11.02.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *114 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) तथा (ख) : जी, नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश के वन क्षेत्रों में रह रहे विभिन्न जनजातीय समुदायों की जनसंख्या सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं कराया है। इसके अलावा, इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय विभिन्न जनजातीय समुदायों की जनसंख्या सहित देश की जनसंख्या सुनिश्चित करने के लिए दशकीय जनगणना कराता है।

(ग) : मानदंड स्कीम/कार्यक्रम विशिष्ट हैं, तथापि जनजातीय लोगों द्वारा आबाद क्षेत्रों/राज्यों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश के जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए सरकार ने जनजातीय उप-योजना रणनीति जो अब अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के रूप में ज्ञात है, अपनायी है। एसटीसी एक बहुआयामी रणनीति है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका, कृषि, सिंचाई, आय सृजन कार्यक्रम, सड़कों का निर्माण, बिजली की आपूर्ति आदि के लिए सहायता शामिल है। एसटीसी के तहत निधियां जनजातीय विकास के लिए समर्पित हैं। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना विकास और देश में जनजातीय लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान का प्रमुख भाग संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अपनी स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से संवेदनशील अंतरों को भरने के लिए इन पहलों को अपना योगदान प्रदान करता है।

देश में जनजातीय जनसंख्या के कल्याण तथा विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें/कार्यक्रम अनुलग्नक में दिए गए हैं।

"जनजातीय समुदाय" के संबंध में श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 11.02.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *114 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	स्कीमों/कार्यक्रमों के नाम
1	जनजातीय उप-योजना (टीएसएस) को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)
2	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान
3	अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति स्कीमें: **क.** अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम **ख.** अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम **ग.** अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति **घ.** अजजा के विद्यार्थियों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति
4	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
5	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
6	कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान
8	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम – वन बंधु कल्याण योजना **क.** अखिल भारत अथवा अंतर्राज्य प्रकृति की समर्थनकारी परियोजनाएं : **ख.** उत्कृष्टता केंद्र : **ग.** जनजातीय त्यौहार :
9	जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास तथा विपणन के लिए संस्थागत समर्थन
10	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास

*****